न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 192/2017

वादीया :-	बनाम	प्रतिवादी
1. श्रीमती गजराई पुत्री मुगना पत्नि शंकरराम जाति-नायक, निवासी-केसरपुरा, पोस्ट-रास, तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, तहसील-जैतारण जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955एवं सहपठित धारा 136 एल.आर. एक्ट , तारीख रजू:.12/10/2017

उपस्थितः. 1. श्री भाकरसिंह, अधिवक्ता, वादी।
2. तहसीलदार जैतारण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 21/06/2018

वकील मय वादीया ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा पटवार हल्का- रास-2, तहसील-जैतारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 2910/1 रकबा 32-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2910/2 रकबा 01-18 बीघा किस्म गै.मु, खसरा नम्बर 2740 रकबा 12-06 बीघा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि वादीया को अपने पिता मुगनाजी के नाम की खातेदारी कृषि भूमि विरासत के रूप में प्राप्त हुई । जिसे वादग्रस्त भूमि से सबंधोति किया गया है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है। वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीया के पिता मुगना की मृत्यु के पश्चात् फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज किया गया उस समय हल्का पटवारी की गलती व लिपिकीय त्रुटि के कारण व पूर्णतया जांच पड़ताल नहीं करते हुए वादीया के पिता मुगना जी का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज कर दिया। जिसमें वादीया का नाम गजराई दर्ज करना था लेकिन वादीया का नाम गजू दर्ज कर दिया जो गलत है। जबकि वादीया का सही व वास्तविक नाम गजराई है। जो वादीया के राशन कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजात से साबित है। वादीया अपने उक्त राजस्व रेकर्ड में अपने नाम की गलत प्रविष्टि को हटवाकर उसके स्थान पर सही प्रविष्टि गजराई दर्ज करवाने एवं रेकर्ड को दुरूस्त करवाने की विधिक रूप से अधिकारी है। वादीया को वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों के अलावा भी अपने पिता मुगनाजी की कृषि भूमियों पटवार हल्का रास प्रथम में खसरा नम्बर 193, 228 व पटवार हल्का रास द्वितीय में खसरा नम्बर 2773, 2776/1 की भूमियां वादीया को विरासत में प्राप्त हुई है। जिसके राजस्व रेकर्ड में मुगनाजी का फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज करते समय वादीया का सही नाम गजराई दर्ज किया है। जिसकी जमाबंदी प्रतियां भी वाद पत्र के साथ संलग्न है। जिससे भी साबित है कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम गलत दर्ज है। जिसे हटवाने व गजू के स्थान पर गजराई दर्ज किये जाने की घोषणा करवाने की वादीया विधिक रूप से अधिकारी है। वादीया ने पटवार हल्का रास प्रथम व पटवार हल्का रास द्वितीय में स्थित अपनी उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी नकले ऋण लेने हेतु बैक से सम्पर्क किया तब वादीया को संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा पटवार हल्का– रास–2, तहसील–जैतारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 2910/1 रकबा 32–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2910/2 रकबा 01–18 बीघा किस्म गै.मु, खसरा नम्बर 2740 रकबा 12–06 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया का गलत दर्ज नाम गजु पुत्री मुगना के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गजराई पुत्री मुगना दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक **21/06/2018** को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

वादीया :–	बनाम	प्रतिवादी
1. श्रीमती गजराई पुत्री मुगना पत्नि शंकरराम जाति–नायक, निवासी–केसरपुरा, पोस्ट–रास, तहसील–जैतारण,जिला–पाली(राज.)		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्ग धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं सहपठित धारा 136 एल. आर एक्ट

मु0न0 :रा0वा0 स0: 192/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा पटवार हल्का– रास–2, तहसील–जैतारण, जिला पाली में खसरा नम्बर 2910/1 रकबा 32–01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 2910/2 रकबा 01–18 बीघा किस्म गै.मु, खसरा नम्बर 2740 रकबा 12–06 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीया का गलत दर्ज नाम गजु पुत्री मुगना के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम गजराई पुत्री मुगना दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **21/06/2018** को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण,जिला.पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	–00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	–00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	04	–00	महनताना वकील		
महनताना वकील		–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	03	–00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		–	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		–	मुत्फरिक		
मिजानः–	10	–00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

बताया गया कि वादीया के पटवार हल्का रास द्वितीय की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2910/1, 2910/2, 2740 के राजस्व रेकर्ड में वादीया का नाम गजू दर्ज है एवं अन्य खसरा नम्बरान की भूमि में गजराई दर्ज है। जो आपके पहचान दस्तावेज, राशन, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि भी में भी गजराई दर्ज है। इस कारण खसरा नम्बर 2910/1, 2910/2, 2740 की भूमि में आपकों ऋण नही दिया जा सकता। वादीया को वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई व बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा ऋण देने से इंकार करने पर वादीया को यह वाद पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ा। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के अधिकारी एवं कर्मचारी है जिनके विरूद्व वाद प्रस्तुत करने से पूर्व कानूनी अवधि का नोटिस दिया जाना न्यायोचित है किन्तु वाद की परिस्थितियां इस प्रकार से उत्पन्न हो चुकी है कि कानूनी अवधि तक इंतजार किया जाने से वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा। इस हेतु अलग से 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति चाही गई है। वाद कारण दिनांक 28/09/2017 को बमुकाम ग्राम केसरपुरा (रास) में उत्पन्न हुआ जब वादीया अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैंक में उपस्थित हुई, जब वादीया अपनी कृषि भूमि पर ऋण लेने हेतु बैक में उपस्थित हुई, तब संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा वादीया को ऋण देने से इंकार करते हुए कहा कि आपके राजस्व रेकर्ड के खसरा नम्बर 2910/1, 2910/2, 2740 में आपका नाम गजू दर्ज है इस कारण इन नम्बरान की भूमि पर आपको ऋण नही दिया जा सकता। इसलिए पहले आप अपने राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दुरूस्त करावे इसके पश्चात् ही आपको उक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर ऋण मिल सकता है। वादीया को अपने राजस्व रेकर्ड में अपने गलत नाम की प्रविष्टि की जानकारी भी उसी दिन हुई और वादीया ने अपने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम को दुरूस्त करवाने का वादपत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है जो अन्दर म्याद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रति. जवाब दावा पेश करने का समय चाहा गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मजमा-ए-आम में पटवारी हल्का से फर्द मौका रिपोर्ट ली गई, फर्द मौका रिपोर्ट में पटवारी ने जाहिर किया कि प्रार्थीया का राजस्व रेकर्ड में नाम गजराई के स्थान पर गजु दर्ज हैं। प्रार्थीया वादी के राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड आदि में गजराई नाम दर्ज हैं। वादीया के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम गजु के स्थान पर सही नाम गजराई दर्ज करवाना चाहती हैं। उक्त संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत रास एवं मौतबिरान लोगों ने बताया कि प्रार्थीया वादी का सही नाम गजराई ही हैं। राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम वादीया का गजु पुत्री मुगना के स्थान गजराई पुत्री मुगना दर्ज किया जाना उचित हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। मजमा-ए-आम में भी उक्त संबंध में जानकारी ली गई। तथापि गजु एवं गजराई एक ही महिला होना जाहिर किया। वस्तुतः वाद-पत्र के साक्ष्य सबूत में राशन कार्ड 009044800085, भामाशाह कार्ड 02394939 एवं आधार कार्ड नं. 969392474408, की फोटो छाया प्रतियाँ पेश की, जिससे वादीया का सही नाम गजराई ही हैं। राजस्व अभिलेख में गलत रूप से गजु पुत्री मुगना दर्ज नाम के स्थान पर गजराई पुत्री मुगना दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)